दिनांक 18.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 18 / 2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 सोने के चैन**
- **22 हजार 700 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल बरामद**

दिनांक 18.09.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालिटेक्निक गेट के पास से 04 शातिर अभियुक्तों 1–वरूण कुमार 2–संजय 3–अनूप 4–शान्तनू को गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 सोने के चैन, 22 हजार 700 रूपये नगद(लूट की अन्य चैन की बिक्री के), चोरी की 01 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अनूप के विरूद्ध जनपद देवरिया व बलिया के विभिन्न थानो पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वरूण कुमार निवासी रामनाथ देवरिया हाउस नं0–801 थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2–संजय निवासी दुलहु थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया।

3–अनूप निवासी रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

4–शान्तनू निवासी भटवलिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–लूट के 01 सोने के चैन।

2– 22 हजार 700 रूपये नगद(लूट की अन्य चैन की बिक्री के)।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4– 03 मोबाइल फोन।

जनपद कासगंज/थाना ढोलना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.09.2021 को थाना ढोलना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगढ़ मार्ग पर स्थित बिलराम के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान 03 अभियुक्तों 1–शैलेन्द्र 2–दीपक 3–अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ़्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो भिन्न–भिन्न स्थानों से वाहन चोरी करके बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना ढोलना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शैलेन्द्र निवासी निहालपुर थाना मारहरा जनपद एटा।

2–दीपक निवासी मोहल्ला मण्डी कस्बा बिलराम थाना ढोलना जनपद कासगंज।

3–अंकित निवासी मोहल्ला मण्डी कस्बा बिलराम थाना ढोलना जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।
2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढ़ी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2021 को थाना सुनगढी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र से 03 शातिर अभियुक्तों 1–आकाश 2–एजाज 3–उमर शाह को गिरफ्तार कर लूट की घटनां का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के 03 सोने की चैन, दुकान की चाबी आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आकाश हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो पर लूट, आर्म्स एक्ट, आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 17.09.2021 को थाना सुनगढ़ी क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट

की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद सोने की चैन आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश हाल निवासी मोहल्ला आसफजान खां चरक का कुआं किराये का मकान थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

2–उमर निवासी मोहल्ला मोहम्मद वासिल थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

3–मो0 एजाज निवासी मोहल्ला आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली, पीलीभीत।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के 03 सोने की चैन।

2– दुकान की चाबी आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाइन

- **10–10 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.09.2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–राहुल 2–अभियुक्ता 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1119/2019 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी काशीरामनगर स्टोरी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

2—अभियुक्ता।

3—अभियुक्ता।

जनपद सोनभद्र/थाना कोन

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.09.2021 को थाना कोन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमिला पेट्रोल पम्प के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—सद्दाम 2—अमित 3—नरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो भिन्न—भिन्न स्थानों से वाहन चोरी करके नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी ग्राम मेराल टोला दिलबोध थाना मेराल जनपद गढ़वा झारखण्ड।

2—अमित निवासी भलुवा टोला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

3—नरेन्द्र कुमार निवासी बिल्ली मारकुण्डी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 198 पेटी अवैध शराब**
- **01 डीसीएम, 01 क्रेटा कार**
- **05 हजार 250 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 18.09.2021 को थाना सैयदराजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौबतपुर बूथ के पास 05 अभियुक्तों 1—विकास 2—प्रवीण 3—राकेश कुमार 4—अशोक कुमार 5—राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 198 पेटी अवैध शराब, 01 डीसीएम, 01 क्रेटा कार, 05 हजार 250 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम तुमहाहेड़ी थाना माछरौली तहसील व जनपद झझ्झर, हरियाणा।

2—प्रवीण निवासी गोकलगढ़ थाना सदर जनपद रेवाडी, हरियाणा।

3—राकेश कुमार निवासी ग्राम कैवाली थाना खोल जनपद रेवाडी, हरियाणा।

4—अशोक कुमार निवासी सुखदेवपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़।

5—राजकुमार निवासी तुम्हाहेडी थाना माझरौली जनपद झझ्झर, हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत की 198 पेटी अवैध शराब।

2—01 डीसीएम।

3—01 क्रेटा कार।

4— 05 हजार 250 रूपये नगद।

5— 03 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइन बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को फांसी की सजा)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अति0 विशेष न्यायाधीश, पाक्सो न्यायालय संख्याः 1 फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइन बाजार पर पंजीकृत अभियोग में अन्तर्गत धारा 302/376 एबी भादवि व 3(2)(5)एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त वीरेन्द्र बघेल को फॉसी की सजा से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना पिसांवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 15 (पाक्सो एक्ट),सीतापुर द्वारा थाना पिसांवा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि में अभियुक्त कामता को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 12 सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में अभियुक्त छोटक्के को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मुस्करा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता को 05 वर्ष का कठोर कारवास की सजा व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा 01 अभियुक्त को 02–02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पाक्सों एक्ट द्वितीय हमीरपुर द्वारा थाना मुस्करा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 366 भादवि में अभियुक्ता कमला को 05 वर्ष का कठोर कारवास की सजा व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा अन्तर्गत धारा 504/506 भादवि में अभियुक्त केशव प्रसाद को 02–02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना छर्रा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 20 लाख 56 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी रामनिवास उर्फ राज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 20 लाख 56 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः फर्जी प्रमाण—पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं साल्वर गैंग, परीक्षा केन्द्र का मैनेजमेण्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी से सांठ—गांठ कर टी0जी0टी0/पी0जी0टी0 व TET के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह की मदद करने वाला मुख्य सहयोगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, प्रयागराज का लिपिक एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

आज दिनाकः 18—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फर्जी प्रमाण—पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एंव साल्वर गैंग, परीक्षा केन्द्र का मैनेजमेण्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी से सांठ—गांठ कर टी0जी0टी0/पी0जी0टी0 व TET के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह की मदद करने वाला मुख्य सहयोगी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय के लिपिक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

नरेन्द्र कनौजिया पुत्र केवला प्रसाद निवासी चक देवरा का कनैला, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः—

1. मोबाइल फोन—01 अदद।
2. रू0 210/— नगद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

सिविल लाईन, प्रयागराज, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने से। दिनांक 18—09—2021, समय 00:45 बजे।

विगत कई वर्षो से प्रदे"ा के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपना कर फर्जी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कई गैंग सक्रिय होने की सूचना प्राप्त होने पर ऐसे सक्रिय गैंगो का एस0टी0एफ0 द्वारा समय—समय पर भण्डाफोड किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन मे श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि दिनाकः 17—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फर्जी प्रमाण—पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति एंव साल्वर गैंग, परीक्षा केन्द्र का मैनेजमेण्ट व प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने वाली कम्पनी से सांठ—गांठ कर टी0जी0टी0/पी0जी0टी0 व TET के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह का सरगना व 02 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सरगना स्वंय भी जूनियर हाई स्कूल में फर्जी शिक्षक रह चुका है तथा उसका एक साथी प्राईमरी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। अभियुक्तों से की गयी पूछताछ के क्रम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय के कर्मचारियों की मिली भगत के प्रमाण मिले थे, जिसके सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय का लिपिक नरेन्द्र कनौजिया जो इस गैंग का मुख्य सहयोगी है, आज रात को रोडवेज बस से कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा सिविल लाईन, प्रयागराज स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड पर समय करीब 00:45 बजे प्रातः जैसे ही नरेन्द्र कनौजिया आया तो मुखबिर की निशादेही पर गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नौकरी करता है। राम निवास जो शिकोहाबाद का रहने वाला है, जो फर्जी टीचर भर्ती कराने का कार्य करता है। विभिन्न वर्षो मे नियुक्त फर्जी शिक्षकों का सत्यापन नियुक्ति जनपदों द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के स्तर से कराया जा रहा है। फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट व अन्य माध्यमों से चिन्हित कर सत्यापन प्रक्रिया को रामनिवास द्वारा सुलभ बनाते हुये सम्बन्धित फर्जी शिक्षकों से काफी धनराशि वसूली गयी। इन भर्ती शिक्षकों के सत्यापन का कार्य सचिव नियामक प्राधिकारी कार्यालय से होता है, जिसमें वह राम निवास की मदद करता था, जिसके एवज में राम निवास उसे रू0 50,000/— प्रति कैंडिडेट के हिसाब से उसे खाते में या नकद दिया करता था। मुझे राम निवास की आप लोगों द्वारा गिरफ्तारी की जानकारी हो गयी थी, इसलिए प्रयागराज छोड़कर कहीं जा रहा था, कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

उक्त अभियुक्त को थाना विभूतिखण्ड, कमिश्नरेट, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 493/2021 धारा 419/420/467/468/471/259/260 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही हैं।

———————